

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 12 (25) वन/2019

जयपुर, दिनांक:- 20 SEP 2019

आदेश

राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31 (1) (बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.09.2019 की अनुशंभानुसार निम्नलिखित उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) को उपलब्ध उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल) की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार सम्भालने की तिथि से एल-23 (145800-214100) में उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष	पदोन्नति तिथि	वि.वि.
1.	महेश चन्द गुप्ता	2019-20	01.04.2019	

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के आगे अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत है। उक्त अधिकारी का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 1840/2014 ओम प्रकाश शर्मा व अन्य बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, वन मंत्री
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हॉफ), राजस्थान, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली

(जगदीश लाल मीणा)
सहायक शासन सचिव